

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ.28()परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ.-सेवर/अनु.कार्य./2018/2038 जयपुर,दिनांक: 7.5.18

:: आदेश ::

चूकि अद्योहस्ताक्षरकर्ता का श्री रमेश सिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत सेवर, जिला भरतपुर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का विचार है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रमेश सिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत सेवर, जिला भरतपुर को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन कॉल के दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय जिला परिषद अलवर रहेगा एवं नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

आज्ञा से



(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भरतपुर / अलवर
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सेवर (भरतपुर)
6. श्री रमेश सिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत सेवर, जिला भरतपुर
7. आदेश / रक्षित पत्रावली।

8. ACP (Ho)



अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव